

GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय
(Railway Board) रेलवे बोर्ड

S.No. PC-VII/ 66
No. PC-V/2017/PS/1 (SCRA)

RBE No. 144/2017
New Delhi, dated 06-10-2017

The General Manager
All Indian Railways & PUs
(As per mailing list)


Sub: Revised rates of stipend to Special Class Railway Apprentices.


Ref: Railway Board's letter No.PC-V/2008/PS/2(SCRA) dated 25.11.2008


Consequent upon the promulgation of Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016, on the basis of the recommendations of the Seventh Central Pay Commission, the issue of revision of the rates of stipend to Special Class Railway Apprentices has been under consideration. The President is pleased to decide the following revised rates of stipend for SCRA's:-

Year	Existing rate of stipend (Rs.)	Amount on fixation (2.57 times of stipend) (Rs.)	Increment @ 3% of previous rate of stipend at col. (5) (Rs.)	Proposed rate of stipend (Rounded off to next hundred) (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1st year	9100	23387		23400
2nd year	9100			23400
3rd year	9400		702	24200
4th year (first six months)	9400			24200
4th year (last six months)	9700		726	25000

- These orders will take effect from 01.8.2016.
- The apprentices will draw the revised rates of Dearness Allowance appropriate to the revised rates of stipend.
- This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.
- Hindi version is enclosed.


(N. P. Singh)
Dy. Director/ Pay Commission-V
Railway Board


17/10/2017



भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)



क्र.सं. पीसी-VII/ 66
सं. पीसी-V/2017/पीएस/1 (एससीआरए)

आरबीई सं. 144/2017
नई दिल्ली, दिनांक 06.08.2017

महाप्रबंधक
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: विशेष श्रेणी के रेलवे अप्रेंटिसों के लिए वज़ीफे की संशोधित दरें।

संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दिनांक 25.11.2008 का पत्र सं.पीसी-V/2008/पीएस/2(एससीआरए)

सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर रेल सेवाएँ (संशोधित वेतन) नियम, 2016 की घोषणा के परिणामस्वरूप, विशेष श्रेणी के रेलवे अप्रेंटिसों के लिए वज़ीफे की दरों में संशोधन करने का मामला विचाराधीन है। राष्ट्रपति ने एससीआरए के लिए वज़ीफे की निम्नलिखित संशोधित दरों का सहर्ष निर्णय लिया है:-

वर्ष	वज़ीफे की मौजूदा दर (₹.)	नियतन होने पर राशि (वज़ीफे का 2.57 गुना) (₹.)	कॉलम (5) में वज़ीफे की पिछली दर के 3% की दर से वृद्धि (₹.)	वज़ीफे की प्रस्तावित दर (अगले उच्चतर सौ में पूर्णांकित) (₹.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
पहला वर्ष	9100	23387		23400
दूसरा वर्ष	9100			23400
तीसरा वर्ष	9400		702	24200
चौथा वर्ष (पहले छः माह)	9400			24200
चौथा वर्ष (आखिरी छः माह)	9700		726	25000

2. ये आदेश 01.08.2016 से लागू होंगे।
3. अप्रेंटिस वज़ीफे की संशोधित दरों के लिए उपयुक्त महंगाई भत्ते की संशोधित दरों को प्राप्त करेंगे।
4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(एन. पी. सिंह)

उप निदेशक/वेतन आयोग -V
रेलवे बोर्ड